

अपने घर का सच जानने के लिए भूकंप का इंतजार मत कीजिए

अब जयपुर, अलवर, भिवाड़ी भूकंप के हाई रिस्क जोन में

जयपुर। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने भूकंप को लेकर देश के नए रिस्क घोषित किए हैं। अब जयपुर, अलवर, भिवाड़ी हाई रिस्क जोन में हैं। इस जोन के शहरों में 5 से 6 रिक्टर स्केल तक के भूकंप आ सकते हैं। जयपुर 2016 तक माइल्ड डेमेज रिस्क जोन-2 में था। अब जयपुर, भिवाड़ी और अलवर को जोन 4 में शामिल किया है। 2016 तक बीकानेर जोन 3, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जोन 2 में थे। वहीं, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के ओर से नया नक्शा जारी होने के बाद जो शहर हाई रिस्क जोन में वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नए नियमों के बनाने होंगे।

- अब जयपुर भूकंप के हाई रिस्क जोन में
- जयपुर की अधिकतम RCC इमारतें भूकंप रोधी नहीं
- कल अगर कुछ हो जाए तो क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? अगर नहीं तो आज ही Structural Engineer से संपर्क करें या केडिया सेजस्थान कॉल करें
- बहुत से लोग मानते हैं कि RCC इमारतें अपने आप सुरक्षित होती हैं। यह एक खतरनाक भ्रम है।

भूकंप रोधी क्षमता इन बातों पर निर्भर करती हैं :

- स्ट्रक्चरएल डिज़ाइन
- कॉलम बीम
- कंपन भार गणना
- डक्टाइल डिटेलिंग (IS 13920)



केडिया होम्स के हर प्रोजेक्ट में होती है भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन वाली
बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े फ्लैट छोटी छोटी प्राइस में



कोठी: सिर्फ ₹47000/-
Sq Ft

फ्लैट: सिर्फ ₹40000/-
Sq Ft

FIXED PRICE & RENTAL

PRODUCT TYPE	UNIT TYPE	SIZE	FIXED PRICE	PROPOSED RENTAL (AFTER POSSESSION)
WALK-UP APARTMENT	2 BHK (GF)	1350 Sq Ft	65 LACS	22,000
	3 BHK (SF)	1900 Sq Ft	75 LACS	25,000
	3 BHK (FF)	1900 Sq Ft	80 LACS	28,000
KOTHI	3 BHK BIG	2000 Sq Ft	1.05 CRORE	30,000
	4 BHK BIGGER	2325 Sq Ft	1.10 CRORE	40,000
	4 BHK BIGGEST	3200 Sq Ft	1.50 CRORE	50,000

31 दिसम्बर को 10 लाख रेंट बढ़ेगी



KEDIA
सेजस्थान
KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड, जयपुर

पजेशन: 31 दिसम्बर 2025 से शुरू

KEDIA®

1800-120-2323

78770-72737

info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH



*T&C Apply

राहुल गांधी ने जी राम जी स्कीम पर प्रहार ही प्रहार किये

‘सरकार ने केवल नाम ही नहीं बदला मनरेगा का, बल्कि अधिकार व मांग पर आधारित स्कीम को एक “राशन” स्कीम बना दिया, जिसका नियंत्रण दिल्ली के हाथ में है’

**- डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 19 दिसंबर। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि 20 साल पुरानी मनरेगा योजना को एक दिन में नष्ट कर दिया गया है, उन्होंने नए वीबी जी राम जी विधेयक को “गांव विरोधी” करार दिया।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा, वीबी जी राम जी मनरेगा का काया पलट नहीं है, बल्कि “बीती रात, मोदी सरकार ने एक ही दिन में 20 साल की मनरेगा को खत्म कर दिया...”
उन्होंने कहा, “यह अधिकार आधारित, मांग से प्रेरित गारंटी को नष्ट करता है और इसे एक राशनिंग योजना में बदलता है, जिसे दिल्ली से नियंत्रित किया जाता है। इसका डिजाइन राज्य और गांव विरोधी है।”
विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों की सशक्त किया था और उन्हें मोल-भाव की ताकत दी थी।

- राहुल के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण मेहनतकश को “बारगेनिंग पावर” (बातचीत कर अपनी बात मनवाने का अधिकार) दिया था। सरकार ने “बारगेनिंग पावर” खत्म कर दिया।
 - राहुल के अनुसार, कोविड के समय हमने देखा था, जब इकॉनमी ठप्प हो गई थी, मनरेगा ने करोड़ों को भूख व कर्ज से बचाया था। पर, अब कितना काम उपलब्ध होगा, उसकी सीमा बांध कर सरकार ने काम न देने का नया बहाना दे दिया सरकार को।
 - राहुल गांधी ने अंत में सरकार को चुनौती दी कि, मनरेगा गरीबी हटाने व ग्रामीण जनता के सशक्तिकरण का विश्व में सबसे सफल प्रोग्रामों में से एक है और वे सरकार को गरीबों के अंतिम हथियार को खत्म नहीं करने देंगे तथा सभी राज्यों में पंचायत स्तर तक आंदोलन खड़ा कर, सरकार को बाध्य करेंगे कि वह जी जी राम जी विधेयक वापस ले।
- गांधी ने कहा, “जब (ग्रामीण लोगों को) वास्तविक विकल्प मिले तो शोषण और परेशानी से हो रहे पलायन में कमी आएँ, मजदूरी बढ़ी, कार्य स्थितियाँ बेहतर हुईं, और यह सब ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण और पुनरुद्धार

के साथ हुआ। यही वो ताकत है, जिसे यह सरकार तोड़ना चाहती है।”
लोकसभा में विपक्षी नेता ने कहा कि काम की सीमा तय कर और उसे अस्वीकार करने के और तरीके बनाकर, वीबी जी राम जी विधेयक ग्रामीण गरीबों को जो एकमात्र ताकत मिली थी, उसे कमजोर कर देता है।
गांधी ने कहा, हमने देखा कि कोविड के दौरान मनरेगा का क्या फायदा हुआ। जब अर्थव्यवस्था बंद हो गई और आजीविका संकट में आ गई, तो इसने करोड़ों लोगों को भूख और कर्ज में डबने से बचाया।”
उन्होंने कहा कि इसने महिलाओं को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया। हर साल, महिलाएं आधे से अधिक व्यक्ति दिवसों में योगदान करती थीं।
उन्होंने लिखा, “जब आप एक रोजगार योजना को राशन करते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं, दलित, आदिवासी, भूमिहीन श्रमिक और गरीब तथा ओबीसी समुदाय बाहर हो जाते हैं।”
(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘विभागीय पदों पर आरएएस भर्ती-2023 में नियुक्ति नहीं दें’

जयपुर, 19 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने रोहित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते

- हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए रोक लगाई।

हुए यह आदेश दिया। अदालत ने माना कि प्रकरण में विभागीय पदों पर जातिगत आरक्षण का बिंदु विचारणीय है। ऐसे में यदि सरकार द्वारा इन पदों पर नियुक्ति दी जाती है तो पक्षकारों के हित प्रभावित होंगे।
याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि आरएएस भर्ती-2023 में कुल पदों में से 12.5 फीसदी पद अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए थे। आरपीएससी की ओर से भर्ती का परिणाम जारी करते समय, विभागीय पदों पर सामान्य कट ऑफ ही जारी की गई, जबकि आयोग को विभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से कट ऑफ जारी करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करने से याचिकाकर्ताओं को जातिगत आरक्षण से वंचित किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद में बहस होती तो प्रदूषण पर नियंत्रण के सख्त उपाय किए जा सकते थे

प्रियंका गांधी, कनिमोई करुणानिधि और बांसुरी स्वराज आदि महिला सांसद इस बात से काफी निराश थीं कि हवा की गुणवत्ता पर बहस नहीं हुई, जबकि अंतिम दिन यह बहस होनी शिड्यूल्ड थी

**-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। नई दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर की ओर बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी। शुक्रवार को शीतकालीन सत्र अचानक समाप्त हो जाने के कारण यह बहस हो ही नहीं पाई।
पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता “बहुत खराब” श्रेणी में बनी हुई है, जिसके कारण प्रियंका गांधी, कनिमोई करुणानिधि और बांसुरी स्वराज सहित, कई लोकसभा सांसदों ने इस विषय पर बहस की मांग की थी। उम्मीद थी कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन इस पर बहस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि संसद में चर्चा से प्रदूषण कंट्रोल के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते थे।

- दिल्ली पुलिस ने कहा, 12,164 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरा उठा है और 2068 किलोमीटर तक सड़के साफ हुई हैं। पर, विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं।
 - विशेषज्ञों का यह भी कहना है, प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि कठोर कदम उठाने होंगे, जैसे वाहनों, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों में बड़े पैमाने पर एमिशन कंट्रोल के उपाय करने होंगे।
 - उन्होंने कहा, कुछ सौ वाहनों को कम करने की बजाय दिल्ली में पूरे वर्ष भर प्रदूषण नियंत्रण के गंभीर उपाय करने की जरूरत है। यह तभी संभव था, जब संसद में बहस होती है और इसके पक्ष में वातावरण बनता।
- दिल्ली ने दिसंबर महीने सन् 2015 में स्ट्रेण्डर्ड मॉनिटरिंग शुरू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे खराब प्रदूषण देखा है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने “नो पीयूसी (पोल्यूशन अण्डर कंट्रोल), नो फ्यूल” जैसे सख्त अभियान चलाए हैं और दिल्ली के बाहर के नॉन बी एस-6 स्ट्रेण्डर्ड वाले वाहनों पर बैन लगाया, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु में 97 लाख मतदाताओं के नाम कटे चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की

चेन्नई/गांधीनगर, 19 दिसंबर। चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को तमिलनाडु की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस प्रक्रिया से पहले तमिलनाडु में 6.41 करोड़ वोटर थे, लेकिन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद लिस्ट के सामने आने से पता चला कि तमिलनाडु में अब 5.43 करोड़ वोटर रह गए हैं।
एसआईआर वोटर लिस्ट की नई सूची से तमिलनाडु में 97 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। अब तमिलनाडु के अगले विधानसभा चुनाव में 5.43 लाख करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने गुजरात की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी जारी किया। गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 73 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।
चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से

- इस वोटर लिस्ट से तमिलनाडु में भारी राजनैतिक विवाद शुरू होने की संभावना है, क्योंकि, सत्तारूढ़ पार्टी द्रमुक पहले से ही एसआईआर का भारी विरोध कर रही थी।
- एसआईआर से पहले तमिलनाडु में 6.41 करोड़ मतदाता थे जो घटकर 5.43 करोड़ ही रह गए हैं। जिन 97 लाख लोगों के नाम काटे हैं उनमें से 27 लाख को चुनाव आयोग ने मृत बताया और 66 लाख के बारे में कहा, ये राज्य से पलायन कर गए हैं तथा 3.4 लाख के नाम अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड बताए हैं।
- तमिलनाडु के साथ चुनाव आयोग ने गुजरात की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी की, जहां 73 लाख नाम कटे हैं।

उन लोगों के नाम हटा दिए हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, इन लोगों के नाम पिछली वोटर लिस्ट में शामिल थे। वहीं, तमिलनाडु और गुजरात की वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम भी कट चुके हैं, जो ये राज्य छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। इसके साथ ही, उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में नहीं हैं, जिनके नाम दो राज्यों की वोटर लिस्ट में रजिस्टर थे।
चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव 25 अप्रैल तक होंगे

जयपुर, 19 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने के संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और परिसीमन की कार्रवाई व प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसएलपी

- सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
- को खारिज कर दिया है। जस्टिस जायमलया बामजी और जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने ये आदेश संयम लोढ़ा की एसएलपी (स्पेशल लीव पिटिशन) पर दिए।
एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 14 नवंबर 2025 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने और ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

5 राज्यों को नए चीफ जस्टिस मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने 5 वरिष्ठ जजों की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्ति की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी

**-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने गुरुवार को उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना उच्च न्यायालयों में पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दिये जाने की सिफारिश की है। महत्वपूर्ण न्यायिक नेतृत्व से सम्बन्धित यह कदम न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और सेवानिवृत्तियों के बाद निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कोलीजियम के इन निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से जारी किया गया और औपचारिक कार्रवाई के लिए केन्द्र सरकार को भेजा गया।
यह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सूर्यकांत के कार्यकाल के दौरान लिया गया एक महत्वपूर्ण न्यायिक नेतृत्व निर्णय है, जिन्होंने नवम्बर 2025 में पदभार ग्रहण किया

- सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत का यह पहला बड़ा “लीडरशिप” फैसला है।
- उन्होंने उत्तराखंड, मेघालय, झारखंड, सिक्किम और पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए नामों की सिफारिश की ताकि समय रहते नियुक्ति हो जाए और न्यायिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे।
- जिन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है, वो हैं, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे, जस्टिस एम एस सोनक, जस्टिस मुहम्मद मुश्ताक, जस्टिस संगम कुमार साहू।

था और अपने पूर्ववर्ती से कार्यभार संभालने के बाद, न्यायपालिका की कार्यक्षमता और संविधानिक अखंडता को पदोन्नति की यह सिफारिश उत्तराखंड की दिशा में काम कर रहे है।
कोलीजियम ने हाईकोर्ट के इन मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है:
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय

में सेवा दे रहे हैं, को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
पदोन्नति की यह सिफारिश उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने की संभावना को देखते हुए की गई है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती पी. मोहिते डेरे को

मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। उनकी नियुक्ति मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के कारण की गई है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। यह निर्णय जनवरी 2026 में रिक्त हो रहे पद को देखते हुए लिया गया है।
केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है।
उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
ये सिफारिशें पूर्वी, उत्तरी और उत्तर-पूर्वी न्यायिक क्षेत्रों में नेतृत्व के संतुलित बदलाव को दर्शाती है।

इस बार रविवार को पेश होगा केन्द्रीय बजट

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर। आगामी एक फरवरी को रविवार होने के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 का बजट लोक सभा में उसी दिन पेश किया जाएगा।
रिजिजू ने संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद संसद परिसर

- असल में बजट हर बार एक फरवरी को पेश होता है इस बार एक फरवरी को रविवार है और रविवार को संसद में अवकाश होता है। पर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, रविवार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बजट एक फरवरी को ही पेश होगा।

में शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बजट एक फरवरी को ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘क्या 100 दिन काम देने की गारंटी के स्थान पर 125 दिन काम देने की गारंटी गलत है’

भाजपा ने जी राम जी विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर ग्रामीण जनता व श्रमिक के हित के बहाने केवल राजनीति करने का आरोप लगाया

**- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 19 दिसंबर। भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिये गये हैं।
सबसे पहले लोकसभा को, तथा इसके बाद राज्यसभा को स्थगित किया गया।
राज्यसभा की बैठक गत आधी रात के बाद तक चली और वीबी-जी राम-जी विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया, जिसे इससे पहले, दिन में लोकसभा द्वारा मंजूरी दी जा चुकी थी।
शुक्रवार को कार्यवाही दोबारा शुरू होने के कुछ ही समय बाद लोकसभा

- “क्या अधिक दिन काम देने का वादा, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों के खिलाफ हो सकता है।”
 - भाजपा नेताओं ने, विशेषकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के, जी राम जी विधेयक के पारित होने पर 12 घंटे के लिए धरने पर बैठें सांसदों को लक्ष्य बनाया और कहा, उनकी “गुंडगर्दी” के कारण सदन नहीं चल पाया और दिल्ली में प्रदूषण पर होने वाली सारगर्भित बहस को भी टालना पड़ा।
- से जुड़े मुद्दे और नए संसद भवन में एक अलग हॉल की मांग शामिल थी। एक वरिष्ठ मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुराने संसद भवन में ऐसी ही एक सुविधा थी, जिसका उपयोग यदा-कदा ही होता था।

कायबाब” गीत गा रहे हैं।
कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महात्मा गांधी की एक बार फिर हत्या की गई।
भगत ने कहा, “उत्पके (भाजपा) मातृ संगठन ने 1948 में गांधी जी की हत्या की थी और कल मोदी जी की सरकार ने गांधी जी के नाम की हत्या कर दी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि उसे उन चीजों से चिढ़ (एलजी) है, जिनमें गांधी जी और नेहरू जी का नाम आता है। वे उन नामों को मिटा देना चाहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका नकारात्मक रही। इसलिए उन्होंने (भाजपा) ऐसा किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस (मनरेगा) पर बहुत

निर्भर थी... अगर सरकार चाहती तो खासियों को दूर कर, सुधार कर सकती थी... लेकिन वे तो गांधी जी का नाम हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीबी-जी राम-जी विधेयक को लेकर तृणमूल कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन पर तोखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “जिनका मजदूरों से कोई लेना-देना नहीं है, केवल वही वीबी-जी राम-जी विधेयक 2025 का विरोध करेंगे। जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वही इसका विरोध करेंगे। क्या 100 दिन की जगह, 125 दिन की गारंटी देना गलत है? यह मजदूरों के हित में है। जो इसका विरोध कर रहे हैं, वे मजदूरों के दुश्मन हैं।”

जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ से मिले राहुल

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को जर्मनी के पूर्व चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ मुलाकात कर वैश्विक मामलों, व्यापार और बदलती दुनिया में भारत-जर्मनी संबंधों को

- दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक माहौल में भारत व जर्मनी के संबंध मजबूत करने पर चर्चा की।

मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की।
गांधी ने बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों, विद्वानों और शिक्षाविदों को संबोधित करते हुए बदलते विश्व में नेतृत्व, लोकतंत्र और वैश्विक जिम्मेदारी पर चर्चा की। उन्होंने मौजूदा राजनीतिक स्थितियों के साथ ही भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और राजनीतिक अनुभवों को भी साझा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

